न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 236/2024 निर्णय दिनांक: 28.04.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/486
भंवरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. प्रेमकंवर पत्नी स्व. रघुवीरसिंह
3. दलिपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
4. विक्रमसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
5. कैलाशकंवर पत्नी विक्रमसिंह
6. हंसराजसिंह पुत्र मूलसिंह

जाति राजपूत निवासीगण केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश चन्द्र सारस्वत, अशोक सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कि ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 6.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 तादादी 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 तादादी 15.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 17.0500 हैक्टेयर रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। जैरकार खेत खसरा नम्बर 458, 459, 460 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 406 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी को अपने पिता रघुवीरसिंह जी से विरास्तन प्राप्त हुए हैं 1 प्रार्थी का वादगत खेतों में स्थित अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी के हिस्सा की वादगत कृषि भूमि की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के पिता रघुवीरसिंह जी के नाम दर्ज थी उनकी मृत्युपरान्त विरास्तन प्रार्थी के नाम दर्ज की गयी तब ग्रामवासियों द्वारा आम बोलचाल के हिसाब से प्रार्थी का नाम "हड़मानसिंह" बता दिया गया एवं उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो वादगत खेतों के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ग्रामवासियों द्वारा आम बोलचाल के हिसाब से बताये अनुसार "हड़मानसिंह" दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का वास्तविक, शुद्ध एवं सही नाम "भंवरसिंह" हैं जो प्रार्थी के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में दर्ज अंकित चला आ रहा है। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध दर्ज चला आ रहा होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में व अन्य अनेक प्रकार के कृषि विकास कार्य करने में कठिनाई आ रही है। प्रार्थी प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:07 IST
Reason: SelfAttested

पत्र के माध्यम से वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाकर अपना वास्तविक व शुद्ध नाम "भंवरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार" दर्ज करवाना चाहता है । प्रार्थी वादगत खेतों का काबिज काश्त खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम शुद्ध दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 वादगत खेतों के संयुक्त काश्तकार होने से गौण अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पता शुद्ध अंकित करने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्ध दर्ज करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरुद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों का खातेदार कृषक होने से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है। वादगत खेत गांव केऊ की रोही में स्थित हैं इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फिस पर एवं हर प्रकार से अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 6.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 तादादी 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 तादादी 15.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 17.0500 हैक्टेयर रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम "हडमानसिंह" की जगह "भंवरसिह" दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किया जावें एवं अन्य कोई अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी प्रदान किया जावें।

प्रार्थी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 458 तादादी 6.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 459 तादादी 0.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 तादादी 15.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 तादादी 17.0500 हैक्टेयर रोही ग्राम केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के अशुद्ध नाम "हडमानसिंह" के स्थान पर शुद्ध नाम "भंवरसिह" दर्ज करके राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:07 IST
Reason: SelfAttested